आदेश की क्रम संख्या और तारीख़	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख़ के साथ
	शस्त्र वाद सं. 100/14	

सारण समाहरणालय, छपरा।

न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा।

जिला विधि प्रशाखा

क्यूम अंसारी, अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, पिता–साफिर मियां, मो0–डाक बंगला रोड, छपरा, थाना–भगवान बाजार, जिला–सारण (स्थायी पता– मो0–मिल्लत नगर, थाना– औरंगाबाद, जिला–औरंगाबाद)

आदेश

18/12/2014 प्रस्तुत शस्त्रवाद पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक 5578/गो0 18.12.14 के द्वारा प्रेषित आवेदक क्यूम अंसारी, अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, पिता–साफिर मियां, मो0–डाक बंगला रोड, छपरा, थाना–भगवान बाजार, जिला–सारण (स्थायी पता– मो0–मिल्लत नगर, थाना– औरंगाबाद, जिला–औरंगाबाद) के द्वारा एक रायफल की अनुज्ञप्ति हेतु दिए गए आवेदन पत्र के के जॉचोपरान्त प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन की प्राप्ति के पश्चात् आरम्भ किया गया है।

आवेदक की उपस्थिति में सुनवाई की गयी एवं अभिलेख में संधारित पुलिस जॉच प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया गया।

आवेदक के द्वारा बताया गया कि वे वर्त्तमान में अनुमंडल पदाधिकारी, सदर के पद पर कार्यरत हैं। सदर अनुमंडल के विधि–व्यवस्था संबंधी कार्यों के त्वरित निष्पादन के लिए उन्हें किसी भी समय क्षेत्र में जाना पड़ता है, जिससे उनके जानमाल पर खतरे की आशंका बनी रहती है। इसलिए अपने जानमाल पर खतरे की आशंका को देखते हुए शस्त्र की अनुज्ञप्ति प्रदान करने का अनुरोध किया गया।

आवेदक के द्वारा दिए गए आवेदन पर जॉचोपरान्त पुलिस निरीक्षक–सह–थानाध्यक्ष, भगवान बाजार के ज्ञापांक डी.आर. 2502 दिनांक 12.12.14 अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर के ज्ञापांक शून्य दिनांक 12.12.14, अंचलाधिकारी, सदर के पत्रांक 833 दिनांक 17.12.14 तथा अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा के पत्रांक 1642 दिनांक 17.12.14 के द्वारा अपना प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है। पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक 5578/गो0 दिनांक 18.12.14 के द्वारा आवेदन पत्र मूल में संलग्न कर अनुशंसा के साथ प्रेषित किया गया।

पुलिस प्रतिवेदन के अनुसार आवेदक वर्त्तमान में अनुमंडल पदाधिकारी, सदर,

छपरा के पद पर कार्यरत हैं। इनके विरूद्ध थाना अभिलेख में किसी प्रकार की कोई शिकायत दर्ज नहीं है। इनके और इनके परिवार की जानमाल पर खतरे की आशंका को देखते हुए इन्हें शस्त्र की अनुज्ञप्ति प्रदान करने की अनुशंसा की गयी है। पुलिस अधीक्षक, सारण के द्वारा उक्त प्रतिवेदन को अनुशंसा के साथ प्रेषित किया गया है।

अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलनोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि पुलिस अधीक्षक, सारण के द्वारा अपने प्रतिवेदन में आवेदक एवं इनके परिवार के उपर व्याप्त खतरे के मद्देनजर उन्हें शस्त्र की अनुज्ञप्ति देने की अनुशंसा की गयी है। आवेदक के उपर खतरे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार पुलिस निरीक्षक–सह–थानाध्यक्ष, भगवान बाजार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर एवं पुलिस अधीक्षक, सारण के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा से संतुष्ट होकर आवेदक के जानमाल की सुरक्षा के लिए शस्त्र अधिनियम की धारा 13 (2–ए) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक V-11016/16/2009-Arms dated 31-3-2010 जो गृह आरक्षी विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक 3026 दिनांक 13.4.2010 के द्वारा प्राप्त है, के आलोक में आवेदक क्यूम अंसारी, अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, पिता–साफिर मियां, मो0–डाक बंगला रोड, छपरा, थाना–भगवान बाजार, जिला–सारण (स्थायी पता–मो0–मिल्लत नगर, थाना– औरंगाबाद, जिला–औरंगाबाद) को सम्पूर्ण बिहार क्षेत्र में वैधता के साथ एक रायफल की अनुज्ञप्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

वाद निष्पादित

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी
सारण, छपरा।

जिला दण्डाधिकारी
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 16/न्या० दिनांक 5/1/15

प्रतिलिपि– पुलिस अधीक्षक, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला शस्त्र दण्डाधिकारी, सारण, छपरा को संबंधित अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, NIC, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेशानुसार अनुरोध है कि उक्त आदेश को इस जिले के website पर upload करने की कृपा की जाए।

5/1/15

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा, सारण।